

साविध जमा खाता खोलने का फॉर्म कार्यालय उपयोगार्थ

Finance Bank							
	तारीख						
शाखा							
खाता सं							
आवश्यक सूचनाः कृपया फॉर्म को बड़े अक्षरों में भरें। कृपया दिनांक डीडी—एमएम—वायवायवाय प्रारूप में दर्ज करें। संयुक्त आवेदकों वे	दे किया अस्त्रम प्रीअपर्ट प्रीप शर्मे।						
कुरया जिस का बड़ अवरा म नरा कुर्रया। दिनाक डाडा—एसएस—वायवायवाय आरूप म देश करा संयुक्त आवदका व							
मैं/हम नकद/चेक नं.	तारीख						
रुपए मैं राशि के बैंक चेक के साथ ए							
जमा के प्रकार पुन:निवेश क्यूआयसी एमआयसी पुनरावर्ती कर मुक्त लघु अविध अन्य							
	वेवानिवृत्त कर्मचारी						
आवेदक का नाम: यदि आप मौजूदा ग्राहक हैं तो सीआईएफ संख्या (ग्राहक संख्या) का उल्लेख							
अक्र आवेदक सीआयएफ संख्या उपसर्ग पहला नाम मध्यम न	नाम अंतिम नाम						
ऑपरेशन मोड:							
खुद							
अवयस्क जमा के मामले में खाते का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा :							
सीआयएफ सं उपसर्ग पहला नाम मध्यम नाम	अंतिम नाम						
नाबालिंग के साथ संबंध							
ब्याजध्यरिपक्वता राशि आदेश: ईसीएस के जरिए भुगतान प्राप्त करने के लिए एमआईसी	ीआर अनिवार्य है						
कृपया मेरे/हमारे खाते में मासिक/तिमाही ब्याज/परिपक्वता जमा करें वैंक शाखा आयएफएससी/एमआयसीआर में निम्निलखित हैं: खाता संख्या							
परिपक्वता नोटिसः यशि क	। भुगतान आईटी अधिनयम के तहत निर्धारित अधिकतम राशि के अधीन नकद में किया जाएगा						
ब्याज सहित स्वतः नवीनीकरण विना ब्याज के स्वतः नवीनीकरण एनईएफटी/टीआरफ र	उपरोक्त खाते में परिपक्वते की हां सूचना भेंजे						
कृपया एमडी को नवीकृत करेंदिनवर्ष परिपक्वते पर ऑटो व	क्लोज नहीं						
एसआई (यूएसएफबी) खाते से आर.डी							
कृपया डेबिट रुपए मेरा/हमारा खाता संख्या							
टीडीएस के संबंध में निर्देश:							
्रिप जी रिप एच इनकम टैक्स छूट पत्र							
एसबी/सीए/ओडी खाते से टीडीएस घटाएं							

नियम और शर्ते :

मैं/हम एसएमएस/कॉल/ईमेल के रूप में लेन—देन अलर्ट/वैंक की उत्पाद सेवाओं, नियमों/योजना आदि में बदलाव के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए सहमत हूं/हैं। मनी लॉन्ड्रिंग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिक्रय / गैरकानूनी या असामाजिक गतिविधियों और/ या आतंकवादी गतिविधियों का वित्तपोषण करती है। मैं /हम एतदद्वारा बैंक को वैधानिक प्राधिकारियों जैसे कि आयकर, विक्री, कर, न्यायिक आरबीआई, पुलिस या ऐसे अन्य प्राधिकारियों को उनकी मांग पर खाते का विवरण प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत करते हैं। मैंश्हम साविध जमा खाते के संचालन और संचालन से संबंधित बैंक के नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए सहमत हैं जो अस्तित्व में हैं और जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा समय—समय पर बदला जा सकता है। मैं / हम बैंक को किसी भी माध्यम/व्यक्तियों के माध्यम से यहां दिए गए विवरणों को सत्यापित करने के लिए अधिकृत करता हूं /करते हैं, जैसा कि बैंक द्वारा आवश्यक समझा जा सकता है। कृपया मेरे /हमारे नाम से खाता खोळें।

खाता खोलने के नियम:

- जमाकर्ता के निर्देश या संयुक्त जमा के मामले में सभी संयुक्त जमाकर्ताओं के निर्देश के आधार पर सावधि जमा की समय से पहले निकासी के मामले में, बैंक को पहले से भुगतान किए गए ब्याज या जुर्माना, यदि कोई हो, की आय से वसूल करने का अधिकार है। बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रचलित नियमों के अनुसार सावधि जमा।
- बैंक में प्रत्येक जमाकर्ता को मूलधन और ब्याज राशि दोनों के लिए अधिकतम ५,००,००० (केवल पांच लाख रुपये) तक का बीमा किया जाता है, जो बैंक के लाइसेंस के परिसमापन या रह करने की तारीख या तारीख के समान अधिकार और समान क्षमता में होता है। जिस पर समामेलन/विलयध्युनर्निर्माण की योजना लागू होती है।
- यदि मैं/हम इस सावधि जमा को गिरवी रखकर ऋण/सुविधा प्राप्त करते हैं, तो मैं/हम बैंक को उक्त ऋण/सुविधा खाते में मासिक/तिमाही/ब्याज और परिपक्वता राशि जमा करने के लिए खाते के भुगतान में परिवर्तन करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ/करते हैं। ऋण / सीमा के बंद होने तक।
- जमाकर्ता को परिपक्वता पर राशि को भुगतान प्राप्त करने या इसके नवीनीकरण की व्यवस्था करने में सक्षम बनाने के लिए रसीद पर देय तिथि दर्ज की जाती है। जमाकर्ता द्वारा किसी और सूचना को अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है।
- यूएसएफ बैंक वास्तविक दिनों की संख्या के आधार पर ब्याज की गणना करता है, यानी एक लीप वर्ष में ३६६ दिन और एक गैर—लीप वर्ष में ३६५ दिन। हालांकि पुनर्निवेश जमा, मासिक या तिमाही ब्याज भुगतान योजनाओं के मामले में। ब्याज की गणना एक वर्ष में ३६५ दिनों पर आधारित है।
- यदि सावधि जमा को ७ दिनों की न्युनतम अवधि पूरी होने से पहले समय से पहले बंद कर दिया जाता है, तो उक्त सावधि जमा के लिए कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

स्रोत पर कर कटौती

- वित्तीय वर्ष के लिए ब्याज पर टीडीएस की कटौती आयकर अधिनियम १९६१ के प्रावधान के अनुसार की जाएगी।
- परिपक्वता मल्य कर और उस पर ब्याज की कटौती के अधीन है।
- वित्त (संख्या २), अधिनियम २००९ द्वारा ०१/०४/२०१० से शुरू की गई भारा २०६एए के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो आय प्राप्त करता है जिस पर टीडीएस कटौती योग्य है, वह अपना पैन प्रस्तुत करेगा, जिसमें विफल होने पर २० प्रतिशत की दर से टीडीएस काटा जाएगा। घरेलू जमा के मामले में। कृपया आगे ध्यान दें कि, पैन के अभाव में, फॉर्म १५जीध्५एच और अन्य छूट प्रमाण पत्र जमा करने पर भी अमान्य हो जाएंगे और दंडात्मक टीडीएस लागु होगा।
- आयकर अधिनयम की धारा १३९ए(५ए) के अनुसार आयकर अधिनयम के प्रावधान के तहत आय या राशि जिसमें से कर की कटौती की गई है, प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे कर की कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को अपना पैन नंबर प्रदान करेगा।
- भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति के सीए में कर योग्य ब्याज के लिए कर की कोई कटौती नहीं की जाएगी, यदि ऐसा व्यक्ति बैंक को लिखित रूप में निर्धारित फॉर्म (फॉर्म १५जीध्कॉर्म १५एच लागू हो) में इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करता है कि प्रभाव यह है कि उस वर्ष के लिए उसकी अनुमानित कुल आय पर कर शून्य होगा जिसमें ऐसी ब्याज आय को उसकी कुल आय की गणना में शामिल किया जाना है।
- प्रत्येक नए वित्तीय वर्ष में एक नया फॉर्म नंबर १५जीथ्९५एच जमा करना होगा।
- फॉर्म १५जी/१५एच की देरी या जमा न करने के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम या नुकसान के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा, ताकि हम आपको बेहतर सेवा प्रदान कर सकें, कृपया नए वित्तीय वर्ष के २५ अप्रैल तक फॉर्म नंबर १५जी/१५एच जमा करें।
- मैंश्हम एतदद्वारा घोषणा करते हैं और पुष्टि करते हैं कि अगर मैं/हम आईटी अधिनियम १९६१ की धारा २०६एबी में प्रदान की गई निर्दिष्ट व्यक्ति की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, तो मैंश्हम तत्काल दो कार्यवाही वर्षों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की पुष्टि करने वाली घोषणा प्रस्तुत करूंगा/करेंगे। आयकर अधिनियम १९६१ के २०६ एबी)।

नोट: उपरोक्त वित्त मंत्रालय सरकार के निर्देशों के अनुसार परिवर्तन के अधीन है। भारत की।

जमाकर्ताओं के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान	जमाकर्ताओं के हस्ताक्षर या अंगूठे का नि	निशान जमाकर्ताओं के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान जमाकर		र्जाओं के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान			
नामांकन प्रपत्र डीए—१ (बैंकिंग विनियमन अधिनियम, १९४९ की धारा ५६ और सहकारी बैंक (नामांकन) नियम, १९८५ के नियम २(१) के साथ पठित धारा ४५२ के तहत नामांकन। बैंक जमा के संबंध में)							
मैं/हम, इस खाते के लिए आवेदक, निम्नलिखित व्यक्ति को नामित करताष्करती हूंध्करते हैं, जिन्हें मेरी/हमारी/नाबालिंग की मृत्यु के मामले में, खाते में जमा शेष राशि का भुगतान यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक क्रेडिट के माध्यम से किया जा सकता है।							
नामांकित व्यक्ति का नाम, पता और संपर्क नंबर।		नामांकित व्यक्ति का मौजूदा सीआईएफ		रिश्ता	जन्म की तारीख		
यदि नामांकित व्यक्ति अवयस्क है, तो नियुक्ति विवरण रसीद पर नामिती का नाम मुद्रित करें? 🔲 हां 🔲 नहीं							
चूंकि नामिती इस तारीख को अवयस्क है, मैंष्हम श्रीष्ट्र्शीमती को नियुक्त करता हूंब्करते हैं।							
आवेदक के हस्ताक्षर –१	आवेदक के हस्ताक्षर —२	आवेदक—३/गवाह—१ आवेदक—४/गवाह—२ उनके हस्ताक्षर उनके हस्ताक्षर					
खाता विवरण सत्यापित और मेरे द्वारा सही पाया गया। खाता शाखा राजस्टर में खोला गया।							

अधिकत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और तारीख

कर्मचारी संख्या

निर्माता के हस्ताक्षर और तारीख